स्टेशन संचालन नियम सं.इज्जतनगर/62 काशीपुर
जारी तिथि लागू तिथि

परिशिष्ट – क III

काशीपुर स्टेशन पर स्थित ट्रैफिक समपार फाटक सं. 37 श्रेणी 'बी' के संचालन हेतु कार्य अनुदेश

1. विवरण

1.1 सामान्य –

(1) समपार फाटक की संख्या : 37 श्रेणी : बी

(2) इंजीनियरिंग/यातायात फाटक : ट्रैफिक

(3) अधीन स्टेशन अधी0/रेल पथ निरिक्षक : स्टेमा/काशीपुर

(4) किलोमीटर पर स्थित : 49/1–2

(5) स्टेशन काशीपुर

(6) स्टेशन मध्य : काशीपुर एवं अलीगंज

(7) बी0जी0/एम0जी0/एन0जी0 : बी.जी.

(8) इकहरी/दोहरी/मिश्रित : इकहरी

(9) सामान्य स्थिति : सड़क यातायात के लिए खुला

(10) इण्टरलाक्ड/नानइण्टरलाक्ड : इंटरलॉक

(11) इण्टरलाकिंग का प्रकार : अप आउटर एवं डाउन प्रस्थान सिगनलों से इण्टरलाक्ड

(12) गेट सिगनलों का प्रावधान किलोमीटर

(i) डाउन लाइन : ———

(ii) अप लाइन : ———

(13) संकेतन व्यवस्था : द्विसंकेती लोअर क्वाड्रेन्ट सिगनल

(14) संचार साधन टेलिफोन/घंटी : टेलीफोन पश्चिम केबिन/काशीपुर से सम्बद्ध

(15) समपार फाटक की चौड़ाई : 6.00 मीटर

(16) सड़क का प्रकार (एन0एच0/एस0एच0/अन्य) : अन्य

(17) सड़क का नाम : काशीपुर – दरियाल रोड

(के0 एस0 सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम सं.इज्जतनगर/62 काशीपुर
जारी तिथि लागू तिथि

(18) पक्का/कच्चा :	पक्का
(19) पहुॅच मार्ग :	ए.एस.पी
(20) सड़क की चौड़ाई :	6.00 मीटर
(21) सड़क का क्रासिंग कोण (इस्क्यू गेट के लिए) :	90^0
(22) सड़क का ढ़ाल यदि कोई हो	
(i) उत्तर से पूर्व की तरफ :	1 : 30
(ii) दक्षिण से पश्चिम की तरफ :	1 : 30
(23) सड़क का प्रकार (सीधा/गोलाई)	
(i) उत्तर से पूर्व की तरफ :	सीधा
(ii) दक्षिण से पश्चिम की तरफ :	सीधा
(24) 'हाइट गेज का प्राविधान' :	नहीं
(25) बैरियर का प्रकार :	लिफ्टिंग बैरियर
(26) चेक रेल की लम्बाई :	10.50 मीटर
(27) समपार के मध्य सड़क का सतह :	ए.एस.पी
(28) रम्बल स्ट्रिप/गति अवरोधक की लम्बाई :	बायें–6.50 मीटर,दायें–6.50 मीटर
(29) रोड साइन :	उपलब्ध
(30) गति अवरोधक बोर्ड :	उपलब्ध
(31) टी0वी0यू0 :	44040 मार्च 2011
(32) अगली गणना की तिथि :	2014
(33) पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान :	हैं
(34) गेटमैनो की संख्या :	दो
(35) निकटतम रेलवे चिकित्सा सहायता केन्द्र :	काशीपुर
(36) निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो :	काशीपुर
(37) उपलब्ध उपकरणों की सूची हॉ/नही :	हॉ

(के0 एस0 सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम सं.इज्जतनगर/62 काशीपुर
जारी तिथि लागू तिथि

1.2 उपकरण –

(1)	हाथ सिगनल बत्ती (K. Oil)	02
(2)	हरी हाथ झंडी	01
(3)	लाल हाथ झंडी	03
(4)	बैनर फ्लैग लाल	03
(5)	लाल बैनर फ्लैग लगाने हेतु पोस्ट	02
(6)	तालों के साथ अतिरिक्त चेन (जंजीर)	02 (स्टाप डिस्क के साथ)
(7)	पटाखा सिगनल	10
(8)	ट्राय कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प (बैट्री लिट)	01
(9)	गेट लैम्प	02
(10)	टोमीवार	01
(11)	मोर्टार पैन (तसला)	01
(12)	फावड़ा/बेल्चा	01
(13)	दुर्मुठ	01
(14)	पिक एक्स	01
(15)	टिन केस झंडी के लिए	01
(16)	कैन मिटटी के तेल हेतु	01
(17)	बाल्टी/पानी पीने का बर्तन	01
(18)	चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते है (दृष्टि वाला)	01
(19)	गेट पर अवरोध की दशा में समपार की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम	01
(20)	टोकरी	01
(21)	सीटी (Thunder Whistle)	01
(22)	दीवार घड़ी	01
(24)	छोटी चेन व पैडलॉक (बूम लॉकिंग हेतु)	02

(के0 एस0 सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

1.3 गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख :–

(1) गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में।
(2) गेटमैन नियम पुस्तिका हिन्दी भाषा में।
(3) पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची।
(4) डियूटी रोस्टर।
(5) गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण पत्र।
(6) गेटमैन का बायोडाटा, नेत्र जांच, प्रारम्भिक पुरश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि।
(7) दुर्घटना रजिस्टर।
(8) समपार फाटक पर अंतिम गणना का अभिलेख।
(9) निरीक्षण पुस्तिका।
(10) जन प्रतिवेदन पुस्तिका

1.4 गेटमैन के कर्त्तव्य :

(1) **सावधानी**

गेट मैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा।

(2) **ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति**

ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेट मैन बतायी गयी निम्नलिखित स्थिति में खड़ा रहेगा।

(i) गेट मैन सतर्कता पूर्वक गेटलाज के सामने आती हुयी ट्रेन के तरफ मुँह करके खड़ा रहेगा।
(ii) दिन में गेट मैन दॉये हाथ में सिमटी लाल झण्डी तथा बायें हाथ में सिमटी हरी झण्डी डण्डे में लगी हुई मोड़कर लिये रहेगा।
(iii) रात्रि समय में गेट मैन जलती हुयी सफेद हाथ बत्ती लाइन के तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा।
(iv) गेट मैन गले में धागे में बांधकर सीटी लटकाये रहेगा।

(3) **गेट मैन की नियमित ड्यूटी**

(i) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि गेट लैम्प को सूर्यास्त से सूर्योदय तक लगातार जलते हुए स्थिति में रखेगा।
(ii) गेट मैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर ले, तब तक गेट मैन गेट छोड़कर नहीं जायेगा। गेट मैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिए बंद करके ताला लगायेगा।
(iii) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेट मैन गुजरती हुयी ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिए तत्पर रहेगा।

(के0 एस0 सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(iv) गेट मैन गुजरती हुयी सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे- हॉट एक्सल (गर्म धुरा), लटकती हुई चैन, लटकती हुई बैट्री, किसी वाहन/वैगन/ट्रेन/बैट्री बाक्स में आग लगी हो, ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेन्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।

(v) गेट मैन गार्ड द्वारा ड्राइवर को वाकी-टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिए तैयार रहेगा।

(vi) समपार फाटक का बैरियर गेट क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेट मैन अतिरिक्त चैन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बंद करेगा।

(vii) गेट मैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिए यथाशीघ्र स्टेशन मास्टर/काशीपुर को सूचित करेगा।

(viii) जब गेट मैन अपने कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं बैज धारण करेगा।

(ix) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि डियूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण पत्र उपलब्ध है।

(x) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।

(xi) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में है एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार है।

(xii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चैक रेल गैप साफ है।

(xiii) गेट मैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से ठोककर ठीक रखेगा।

(xiv) गेट मैन सड़क प्रयोगकर्त्ताओं की, गेट को बंद रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा कि समपार फाटक कम से कम समय के लिए बन्द हो।

(xv) जहां तक संभव हो गेट मैन मनुष्यों, वाहनों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।

(4) <u>ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य</u>

यदि गेटमैन किसी पास हो रही गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न कार्य करेगा ।

(i) वह तत्काल ही ड्राइवर/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल बत्ती दिखाकर सचेत करेगा ।

(ii) साथ ही साथ ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेकेगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।

(iii) यदि ड्राइवर/गार्ड उपरोक्त कार्यों के उपरांत भी ध्यान नहीं देते हैं तो वह केबिनमैन को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए तो तद्नुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।

(iv) **किसी ट्रेन के विभक्त (पार्टिंग) हो जाने की दशा में गेट मैन रोक हैण्ड सिगनल (लाल) नहीं दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झन्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर-नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।**

(v) वह ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनों हाथों को अलग करके पुनः दोनों हाथों को सटाते हुए पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करते हुए करेगा।

(के0 एस0 सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(vi) गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर केबिनमैन को उचित कार्यवाही करने हेतु गोपनीय संख्या के आदान-प्रदान के अन्तर्गत इसकी सूचना देगा। केबिनमैन यह सूचना गोपनीय संख्या के आदान-प्रदान के साथ स्टेमा/काशीपुर को देगा।

(5) <u>आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही</u>

(i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह लाइन पर दोनों तरफ दिन में बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगाएगा।

(ii) इसके उपरान्त यदि गेट मैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह केबिनमैन को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा। केबिनमैन यह सूचना गोपनीय संख्या के आदान-प्रदान के साथ स्टेमा/काशीपुर को देगा।

(iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी केबिनमैन कोई प्रत्युत्र नहीं देते है तो गेट मैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

1.5 <u>गेट मैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा</u>

(अ) <u>इकहरी लाइन पर</u>

(i) गेट मैन दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती 5 मीटर दूर निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम उस तरफ लगा देगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है।

(ii) इसके पश्चात उसी तरह दिन में दूसरा लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लाइन की दूसरी ओर अवरोध से 5 मीटर की दूरी पर लगायेगा।

(iii) गेटमैन तब पटाखे लेकर एवं दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्राय कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प लेकर गेट को संरक्षित करने के लिए आगे बढ़ेगा।

(iv) गेटमैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्राय कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प दिखाते हुये पहले लाइन पर उस दिशा में बढ़ेगा जिधर से ट्रेन के आने की सम्भावना है तब 600 मीटर पर एक पटाखा लगा देगा उसके पश्चात वह समपार से 1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखे 10-10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन को संरक्षित करने के उपरान्त वह समपार पर लौटते हुये पूर्व में 600 मीटर पर लगाये गये पटाखा उठा लेगा।

(v) इसके बाद वह उसी प्रकार जैसा कि क्रमांक (iv) में वर्णित है लाइन की दूसरी तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।

(vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात गेट मैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सचेत करने का प्रयास करेगा।

(vii) उन परिस्थितियों में जब गेट मैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहॉ पटाखे लगाये जाते हैं, पहुॅचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहॉ तक पहुॅच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।

(viii) उसके उपरान्त गेट मैन दिन में लाल झण्डी दिखाकर एवं रात्रि में लाल फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प चालक को दिखाकर सचेत करेगा/रोकेगा।

(के0 एस0 सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(ब) गेट मैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही

(i) यदि समपार गेट किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या बैरियर या गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को बाधित कर रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेट मैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।

(ii) गेट मैन सड़क यातायात का विवरण लिखेगा जैसे– वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम और गेट मैन केबिनमैन को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा। केबिनमैन यह सूचना गोपनीय संख्या के आदान-प्रदान के साथ स्टेमा/काशीपुर को देगा।

2. समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश –

2.1 संचालन पद्धति :–

कार्यरत गेटमैन विंच को तब तक संचालित करेगा जब तक कि बैरियर नीचे आकर समतल स्थिति में बूम पोस्ट पर स्थिर न हो जायें। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर के बीच में कोई सड़क वाहन फॅस न जाए। विंच को इस स्थिति में लॉक करने के लिए चाबी 'डब्लू1' को घुमाकर निकाल लेगा तथा इसे बूम लॉक लीवर सं. 1 पर लगे 'ई' प्रकार के लॉक में चाबी 'डब्लू1' लगाकर घुमायेगा जो लीवर को मुक्त करेगी। लीवर को विपरीत दिशा में खीचनें से बूमों को क्षैतिजीय स्थिति में पाशित करेगा। बूम लाकिग लीवर से 'डब्लू' चाबी निकालने के बाद गेट लाज में लगे एच. के.टी. में लगाकर क्लाक वाइज घुमाएगा जिससे गेट बन्द होने की पुष्टि स्वरुप पश्चिम केबिन पर चाबी 'डब्लू' मिल जाएगी। तत्पश्चात केबिन मैन द्वारा सिगनल 'आफ' किये जा सकते है।

चाभी को क्लाक वाइज धुमा देने के बाद गेटमैन, दिन के समय बाये हाथ में लिपटी हुई हत्थेदार हरी झण्डी एव दाहिने हाथ में लिपटी हुई हत्थेदार लाल झण्डी तथा रात के समय सफेद प्रकारा वाला हैंड सिगनल लैम्प ट्रैक की तरफ दिखाता हुआ गेट लाज के पास खड़ा होकर गाड़ी के समपार फाटक से सुरक्षित गुजरने का प्रेक्षण करेगा।

गाड़ी के पूरी तरह गुजर जाने के बाद गेटमैन समपार फाटक को सड़क यातायात के लिए खोलने के लिये एच.के.टी. से चाबी 'डब्लू' को एन्टी क्लाक वाइज धुमाकर निकाल लेगा तथा बूम लाकिगं लीवर में लगाकर लीवर को नार्मल कर चाबी 'डब्लू1' निकाल लेगा। इसके बाद चाबी 'डब्लू1' को विन्च में लगे 'ई' प्रकार के लॉक (Lock) में लगाकर घुमाएगा तथा विन्च को तब तक संचालित करेगा जब तक कि लिफ्टिंग बैरियर ठीक ऊपर लम्बवत उठ न जाय।

गाड़ी के सम्भावित आगमन और प्रस्थान से पहले 10 मिनट से अधिक समय तक फाटक को बन्द नही रखना चाहिए। किसी भी मामले में समपार फाटक लगातार 12 मिनट से अधिक समय तक बन्द नही रखना चाहिए।

2.2 गेटमैन को सूचित करना :–

1. पश्चिम केबिन/काशीपुर पर कार्यरत केबिनमैन किसी अप गाड़ी के लिये आगमन सिगनल अथवा डाउन गाडी के लिए प्रस्थान सिगनल 'आफ' करने से पहले गेटमैन को टेलीफोन द्वारा गाड़ी संख्या, विवरण, दिशा, तथा समपार पर पास करने का संभावित समय, के साथ सूचित करेगा।
2. गेटमैन गेट को बन्द करके चाबी केबिनमैन/काशीपुर को हस्तान्तरित करेगा।
3. इसके पश्चात केबिनमैन द्वारा आगमन/प्रस्थान सिगनलों को ऑफ किया जायेगा।
4. सड़क यातायात अधिक समय के लिए रूका न रहे, स्टेशन मास्टर/केबिन मैन को, गेट मैन को सूचित करने के पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि गाड़ी प्रस्थान के लिए पूर्णरूपेण तैयार है।

(के0 एस0 सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

5. यदि समपार फाटक स्टेशन मास्टर/केबिन मैन द्वारा संचालित हो तो आगमन/प्रस्थान सिगनल को 'ऑफ' करने के पूर्व समपार फाटक को सड़क यातायात हेतु बन्द करना सुनिश्चित करेगा।
6. यदि गाड़ी को 'पाइलट' करने की/शंटिंग करने की आवश्यकता पड़ती है तो शंटिंग कर्मचारी समपार फाटक को सड़क यातायात के लिए बन्द करना सुनिश्चित करेगा और उसके उपरान्त समपार फाटक को पार करेगा।

नोट :– स्टेशन मास्टर/गेटमैन इन सूचनाओं की प्रविष्टि अपनी लॉग–बुक में निम्न प्रकार करेगा –

स्टेशन मास्टर की लॉग बुक

तिथि	गाड़ी सं0	गेटमैन को सूचित करने का समय	स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर
1	2	3	4

गेटमैन की लॉग बुक

तिथि	गाड़ी सं0	गेटमैन द्वारा गेट बन्द करने/की–ट्रॉसमिट करने का समय	समपार से पूरी गाड़ी गुजरने का वास्तविक समय/समपार खोलने का समय	गेटमैन का हस्ताक्षर	रिमार्क
1	2	3	4	5	6

2.3 टेलीफोन संचार की विफलता :–

जब टेलिफोन संचार विफल हो जाय अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन के तरफ से कोई प्रत्युत्तर न प्राप्त हो तो पश्चिम केबिन का केबिनमैन इसकी सूचना गोपनीय सं. के आदान प्रदान के साथ कार्यरत स्टेशन मास्टर/काशीपुर को देगा।

1. कार्यरत स्टेशन मास्टर/काशीपुर गेटमैन को पोर्टर द्वारा गाड़ी संरव्या, विवरण, दिशा, लिखकर भेजेगा।
2. उपरोक्त सूचना प्राप्त हो जाने के बाद गेटमैन गेट को बन्द करके चाभी को लीवर लाक में लगाकर क्लाक वाइज धुमा देगा।
3. यदि पर्याप्त समय नही है गाड़ियो के अधिक संचलन के कारण तो स्टेशन मास्टर ट्रेन ड्राइवर को लिखित अनुमति जारी करेगा कि गाड़ी सिगनल 'आन' दशा में पार करे।
4. उपरोक्त के साथ स्टेशन मास्टर गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
5. गाड़ी के चालक को निर्देश दिया जायेगा कि वह गेटमैन के हाथ संकेत पर सर्तकतापूर्वक गेट को पार करे। यदि हाथ सिगनल संकेत नही दिखायी देता है तो ड्राइवर को समपार गेट के पहले रूककर अपने सहायक ड्राइवर को समपार फाटक की स्थिति जानने के लिये भेजेगा। यदि समपार फाटक बन्द है तो सहायक ड्राइवर 'सभी ठीक है' सिगनल देगा और यदि समपार फाटक बन्द नहीं है तो सहायक ड्राइवर समपार फाटक को अवश्य बन्द करेगा और तब 'सभी ठीक है' संकेत देगा। सहायक ड्राइवर की अनुपस्थिति में ड्राइवर गार्ड की सहायता लेगा।
6. जब गाड़ी अलीगंज के तरफ से आने वाली है तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/काशीपुर कार्यरत स्टेशन मास्टर/अलीगंज को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि टेलीफोन रवराब है।
7. तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/अलीगंज गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
8. कार्यरत स्टेशन मास्टर/काशीपुर संकेत एवं दूरसंचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीध्र टेलीफोन ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।

(के0 एस0 सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

9. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार विभाग टेलिफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.4 लिफ्टिंग बैरियर या बूम लॉकिंग की विफलता :–

1. जब लिफ्टिंग बैरियर खराब हो जाने के कारण गेट बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करके कार्य पर उपस्थित केबिनमैन/पश्चिम केबिन को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नही कर रहा है।
2. बूम लॉकिंग विफल होने पर इस सम्बन्ध में प्रदत्त छोटी चेन को प्रत्येक बूम पर बूम पोस्ट से बांध कर बूम को पैडलॉक द्वारा लॉक करेगा।
3. गेटमैन तुरन्त दिन में लाल बैनर फलैग एवं रात्रि में लाल बत्ती समपार पर निर्दिष्ट स्थान पर सर्वप्रथम उस तरफ लगायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना हो तदोपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।
4. गेटमैन समपार को सड़क यातायात से रोकने के लिए सुरक्षा चेन और तालों द्वारा बन्द करेगा।
5. सड़क यातायात को सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन के समय हत्थेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती आती हुयी गाड़ी के ड्राइवर को दिखायेगा।
6. गेटमैन कार्यरत केबिनमैन/पश्चिम केबिन को प्राइवेट नम्बर के आदान प्रदान के अन्तर्गत बैरियर की बिफलता की सूचना देगा। पश्चिम केबिन का केबिनमैन यही सूचना गोपनीय सं. के आदान प्रदान के साथ स्टेमा/काशीपुर को देगा। तब स्टेमा/काशीपुर गेट के तरफ जाने वाली प्रत्येक गाडी के चालक को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सर्तकता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
7. जब गाड़ी अलीगंज के तरफ से आने वाली है तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/काशीपुर कार्यरत स्टेशन मास्टर/अलीगंज को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर खराब है तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/अलीगंज गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
8. कार्यरत स्टेशन मास्टर/काशीपुर संकेत एवं दूरसंचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र जब लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
9. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार विभाग जब लिफ्टिंग बैरियर ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

(नोट– सिगनल 'आन' स्थिति में गाड़ी सिगनल पास करने के लिये ड्राइवर को प्राधिकार पत्र आगमन तथा प्रस्थान दोनो ही परिस्थिति में दिया जायेगा।)

2.5 गेट की 'चाभी' गेट के बन्द स्थिति में विफल हो जाना जब 'चाभी' गेट को खोलने के लिए निकाली न जा सके :–

1. जब गेट चाभी विन्च से या बूम लाकिंग लीवर से या लीवर लाक से बाहर नही निकाला जा सकता तब गेटमैन तुरन्त कार्यरत केबिनमैन/पश्चिम केबिन को प्राइवेट नम्बर के आदान प्रदान के अन्तर्गत टेलीफोन पर सूचित करेगा। केबिनमैन यह सूचना प्राइवेट नम्बर के आदान प्रदान के साथ कार्यरत स्टेशन मास्टर/काशीपुर को देगा ।
2. इस परिस्थिति में गेट को नॉन इंटरलॉक गेट समझना चाहिए और उसी के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए।

(के0 एस0 सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

3. कार्यरत स्टेशन मास्टर/काशीपुर को सतर्कता आदेश गेट की तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ी के लिए जारी करना चाहिए।
4. कार्यरत स्टेशन मास्टर,/काशीपुर कार्यरत स्टेशन मास्टर/अलीगंज को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर रवराब है तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/अलीगंज गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
5. कार्यरत स्टेशन मास्टर जिम्मेदार एस. एण्ड टी. स्टाफ को रवराब यन्त्र के शीध्र मरम्मत के लिए लिखित सूचना देगा।
6. सामान्य स्थिति केवल एस. एण्ड टी. स्टाफ के मरम्मत के बाद रिक्नेक्शन/फिट मेमो देने के बाद ही होगी।

2.6 'गेट चाभी' का गेट के रवुली दशा में विफल हो जाना :-

1. जब गेट चाभी विन्च से बाहर निकाली जा सकती तब गेटमैन् तुरन्त कार्यरत केबिनमैन/पश्चिम केबिन को प्राइवेट नम्बर के आदान प्रदान के अन्तर्गत टेलीफोन पर सूचित करेगा। केबिनमैन यह सूचना प्राइवेट नम्बर के आदान प्रदान के साथ कार्यरत स्टेशन मास्टर/काशीपुर को देगा ।
7. इस परिस्थिति में गेट को नॉन इंटरलॉक गेट समझना चाहिए और उसी के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए।
8. गेटमैन चेन एवं तालों द्वारा गेट को बन्द कर देगा तथा गाड़ियो को हाथ संकेत द्वारा पास करेगा।
9. कार्यरत स्टेशन मास्टर/काशीपुर सतर्कता आदेश गेट की तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ी के लिए जारी करना चाहिए।
10. कार्यरत स्टेशन मास्टर,/काशीपुर कार्यरत स्टेशन मास्टर/अलीगंज को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि गेट चाभी गेट के रवुली दशा रवराब है तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/अलीगंज गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
11. कार्यरत स्टेशन मास्टर जिम्मेदार एस. एण्ड टी. स्टाफ को रवराब यन्त्र के शीध्र मरम्मत के लिए लिखित सूचना देगा।
12. सामान्य स्थिति केवल एस. एण्ड टी. स्टाफ के मरम्मत के बाद रिक्नेक्शन/फिट मेमो देने के बाद ही होगी।

2.7 समपार फाटक पर अवरोध :-

1. यदि काई सड़क वाहन समपार फाटक को तोड़कर रेल पथ को बाधित कर रहा है या लिफ्टिगं बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग रेल पथ को बाधित कर रहा है या यदि अन्य कोई बाधा गेट पर है तो तुरन्त गेटमैन तुरन्त दोनो तरफ आवश्यकता हेतु लगाये गये पोस्टों पर दिन में लाल बैनर . फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लगायेगा।
2. उपरोक्त के बाद तुरन्त गेटमैन अवरोध के बारे कार्यरत केबिनमैन/पश्चिम केबिन को प्राइवेट नम्बर के आदान प्रदान के अन्तर्गत टेलीफोन पर सूचित करेगा। केबिनमैन यह सूचना प्राइवेट नम्बर के आदान प्रदान के साथ कार्यरत स्टेशन मास्टर/काशीपुर को देगा ।
3. कार्यरत केबिनमैन/पश्चिम केबिन यदि किसी गाड़ी के लिये प्रस्थान सिगनल 'आफ' किये हो तो तुरन्त उसे 'आन' करेगा।

(के0 एस0 सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

4. यदि कार्यरत स्टेशन मास्टर/काशीपुर ने अलीगंज को किसी गाड़ी के लिये लाइन क्लीयर दिया हो तो तुरन्त कार्यरत स्टेशन मास्टर/अलीगंज को प्राइवेट नम्बर के आदान प्रदान के अन्तर्गत टेलीफोन पर सूचित करेगा।
5. यदि दो तीन प्रयासो के बाद भी कार्यरत केबिनमैन/पश्चिम केबिन के द्वारा कोई प्रत्युतर नही प्राप्त होता हैं तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के उपरान्त टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
6. गेटमैन पटाखा लेकर एवं दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्राय कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प लेकर तेजी से जिस तरफ गाड़ी का आगमन सम्भावित है, की तरफ रेल पथ को 'गेट मैनों' की कार्य प्रणाली सामान्य निर्देश के मद संरव्या 1.5 के अनुसार संरक्षित करेगा।
7. तदोपरान्त गेटमैन गेट को दूसरी तरफ संरक्षित करेगा।
8. गेटमैन सड़क वाहन के विवरणों जैसे– चालक का नाम सड़क वाहन के मालिक का नाम लिरवकर स्टेशन मास्टर/काशीपुर को केबिनमैन/पश्चिम केबिन के द्वारा सूचित करेगा तथा स्टेशन मास्टर/काशीपुर तब तक गाड़ी को नही चलायेगा जब तक गेटमैन सुनिश्चित नहीं कर देता है कि सड़क वाहन या लिफ्टिगं बैरियर रेल पथ को बाधित नही कर रहे है।
9. कार्यरत स्टेशन मास्टर/काशीपुर कार्यरत स्टेशन मास्टर/अलीगंज को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि वह अपने तरफ से कोई गाड़ी न भेजे जब तक रेल पथ से बाधा हटा न दिया जाय।
10. रेल पथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद गेटमैन प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए कार्यरत केबिनमैन/काशीपुर को सूचित करेगा।
11. तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/काशीपुर सभी ट्रेन के चालको को सर्तकता आदेश जारी करेगा कि गेट को गेटमैन द्वारा हरा संकेत देने पर सावधानी पूर्वक पार करें। यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई व्यवधान न हो।
12. गेटमैन समपार फाटक को संरक्षा चेन एवं तालों द्वारा सड़क यातायात के लिसे संरक्षित करेगा तथा उसके बाद यदि समपार फाटक पर कोई व्यवधान नहीं है तो गेटमैन दिन के समय हत्थेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुयी गाडियो को दिरवायेगा।
13. कार्यरत स्टेशन मास्टर जिम्मेदार एस. एण्ड टी. स्टाफ को रवराब यन्त्र के शीध्र मरम्मत के लिए लिखित सूचना देगा।
14. सामान्य स्थिति केवल एस. एण्ड टी. स्टाफ के मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही होगी।

2.8 <u>समपार फाटक के समीप रेल पथ पर अवरोध</u> :–

यदि किसी रेल का टूटना, रेल पथ पर पेड़ गिरने से कोई अवरोध, सड़क वाहन द्वारा बाधा अथवा कोई अवपथन जो गेटमैन को दिरवाई देता हो तो गेट मैन तथा कार्यरत केबिनमैन एवं स्टेशन मास्टर/काशीपुर मद सं. 2.7 में वर्णित निर्देश के अनुसार कार्यवाही करेगें यदि कोई अवरोध समपार फाटक को बाधित करता हैं तो गेटमैन सड़क यातायात के लिये सड़क को उस समय तक बन्द ररवेगा जब तक रेल पथ से बाधा हटा नही दिया जाय।

(के0 एस0 सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर